न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/2021

निर्णय दिनांक 30.10.2019

प्रार्थी:—

1. रामुडी पुत्री स्व.हराराम पत्नी पाबूराम जाति जाट निवासी पुनिया की ढाणी खेडी सालवा जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार पेमाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बीनावास तहसील बिलाडा

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. नारायणराम पुत्र स्व. हराराम
2. जीवणराम पुत्र स्व. हराराम जातियान जाट निवासीगण बीनावास तह. बिलाडा
3. लिछमणराम पुत्र स्व. हरराम के कायम मुकाम—
   3/1 रामदीन पुत्र लिछमणराम
   3/2 प्रधान पुत्र लिछमणराम
   3/3 गेकुडी पत्नी लिछमणराम जातियान जाट निवासीगण बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
   3/4 बेबी पुत्री लिछमणराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी जाजीवाल खीचिया तहसील व जिला जोधपुर
   3/5 ममता पुत्री लिछमणराम पत्नी परसाराम जाति जाट निवासी कुकण्डा तहसील व जिला जोधपुर
4. भीयाराम पुत्र स्व. हराराम
5. सरकी पत्नी स्व. जसाराम पुत्रवधु स्व. हराराम
6. जमनादेवी पत्नी स्व. प्रेमाराम पुत्रवधु स्व. श्रीमति सुखीदेवी
7. सुनील पुत्र स्व. प्रेमाराम पौत्र स्व.श्रीमति सुखीदेवी
8. अनिल पुत्र स्व. प्रेमाराम पौत्र स्व.श्रीमति सुखीदेवी रेस्पोडेण्ट सं. 7 व 8 जरिये कुदरती वली माता जमनादेवी पत्नी स्व.प्रेमाराम
9. श्यामलाल पुत्र स्व. श्रीमति सुखीदेवी
10. देवकरण पुत्र स्व. श्रीमति सुखीदेवी
11. गीतादेवी पुत्री स्व. श्रीमति सुखीदेवी सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बिनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. सरपंच ग्राम पंचायत चौढा
13. तहसीलदार बिलाडा
14. शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थीगण 1 से 12 व 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थीगण 13 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक** :— 20/9/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 165 रकबा 04 बिघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा आयी हुयी है जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि हराराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बीनावास तहसील बिलाडा की थी। खातेदार हराराम का देहान्त सन 1984 में हो गया। हराराम के देहान्त के बाद उसकी फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 09.06.1984 को स्वीकार किया गया, उसमें हराराम के पांच पुत्र नारायणराम, जीवणराम, लिछमणराम, भीयाराम, जसाराम के नाम से म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया लेकिन हराराम की पुत्रिया रामुडी, सुखीदेवी के नाम से म्यूटेशन स्वीकृत नही किया तो नामान्तरकरण सं. 300 के विरूद्ध अपीलान्ट रामुडी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गयी। उपरोक्त राजस्व अपील में अपीलान्ट की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया था उक्त राजस्व अपील रेस्पोडेण्टस की तलबी हेतु विचाराधीन चल रही थी। अपीलाण्ट ने उपरोक्त अनवान के राजस्व अपील में अपना अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी को नियुक्त कर रखा था अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को बताया कि जब मैं पेशी पर बुलाउगी तब आपको हाजिर होना है इस कारण अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के विश्वास में रही लेकिन अभी अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 25.01.2021 को सम्पर्क किया और अपने केस के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने बताया कि आपके केस में तारीख पेशी दिनांक 30.10.2019 को अपील अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी है। यह सुनकर अपीलाण्ट बडी आश्चर्यचकित हुई, उसके मन को बडी ठेस पहुची। अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा समय पर उपस्थित नही होने पर पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट की विवादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा अपनी भूमि को प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः अपीलाण्ट की अपील बरामद की जानी आवश्यक हैं अगर अपीलाण्ट की अपील को बरामद नहीं किया गया तो अपीलाण्ट को अपनी पुश्तैनी भूमि से वंचित रह जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट बरामद की जाकर पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्टस के विरूद्ध ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 24 बीघा 10 बीस्वा के लिए हराराम की भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 300 के विरूद्ध अपील को पेश किया। उक्त राजस्व अपील में

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपीलाण्ट ने अपना अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी को नियुक्त कर रखा था। अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी ने अपीलाण्ट को बताया कि जब मै पेशी पर बुलाउ तब आपको कोर्ट में हाजिर होना है इस कारण अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के विश्वास में रही लेकिन अभी अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 25.01.2021 को सम्पर्क किया और अपने केस के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने बताया कि आपके केस में तारीख पेशी 30.10.2019 को अपील अदम पैरवी , अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी है। जिस पर अपीलाण्ट ने उसी दिन 25.01.2021 को नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर अपीलाण्ट को दिनांक 25.01.2021 को नकल प्राप्त हुई। अतः जानकारी की तिथि से प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट के अपील को बरामद करने के प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद सुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को जरिये-सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 12 व 14 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए तथा बार-बार रूक रूककर आवाज लगवाई गई परन्तु रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 12 व 14 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट सं. 13 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 12/2019 बअनवान रामुडी बनाम नारायणराम में अपीलाण्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2019 द्वारा अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज करने से उक्त आदेश से व्यथित होकर पेश किया है। अपीलाण्ट एक काश्तकार व गरीब महिला है। एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह दायित्व है कि वह प्रकरण के संबंध में न्यायालय हाजा की पेशी, दिनांक एवं न्यायालय हाजा में हुई समस्त कार्यवाही की जानकारी अपने अपीलाण्ट को दें, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी उनकों नहीं दी। अतः प्रकरण में सम्यक् न्याय निर्णयन के लिये हम अपीलाण्ट पक्षकार को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

समुचित अवसर देना आवश्यक समझते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा प्रकट कथन एवं परिस्थितियों से हम सहमत है, क्योंकि प्रकरण का निर्णयने गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए न ही तकनीकी आधार पर, अतः हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार करना अपीलाण्ट के सम्यक् न्याय निर्णयन् में विधिसंगत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 30.10.2019 को अपास्त करते हुए पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। मूल पत्रावली तलब होकर पुनः दर्ज हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा